18-12-2014 वकील वादी उपस्थित। रिपोर्ट बटवारा प्राप्त। बटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी के मध्य सहमति विभाजन हो चुका है। सहमति विभाजन के पाने से पत्रावली मे कोई कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली मे सही स्तर पर कार्यवाही डाँय की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुरक्षित सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़